



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052022-235864
CG-DL-E-19052022-235864

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2159]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 18, 2022/वैशाख 28, 1944

No. 2159]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 18, 2022/VAISAKHA 28, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2022

का.आ. 2278(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12ए (नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30) के 0.00 कि.मी. से 21.850 कि.मी. तक के भूखण्ड (जबलपुर-बरेला सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितवद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जबलपुर को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जायेंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा। और इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: जबलपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: रांझी कैंट					
गांव का नाम: गोरिया घाट					
1	143/4 144/4	निजी	दिवेटेड	0.1150000(हेक्टेयर)	0.1150000
कुल				0.1150	0.1150

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/37/2018-19/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2022

S.O. 2278(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act.), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 12A (New National Highway No. 30) in the stretch of land from **Km. 0.000 to Km. 21.850** (Jabalpur - Barela Section), in the State of Madhya Pradesh hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objectors to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Sub Divisional Officer (Revenue), Jabalpur, in the State of Madhya Pradesh, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order make by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

State: MADHYA PRADESH		District: JABALPUR			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Ranjhi Cant.					
Village: Goriya Ghat					
1	143/4 144/4	Private	Diverted	0.1150000(Hectare)	0.1150000
Total				0.1150	0.1150

[F. No. CE-RO BPL/30010/37/2018-19/3A]

RAJESH GUPTA, Director